5404(E)
15/7/19

पथ निर्माण विभाग

दिनांक– 15.07.19 को सम्पन्न विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही ।

पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत दीघरा चौक (एन0एच0–28) से बटलर चौक पथ कि0मी0 0.00 से 8.20 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 के समयवृद्धि पर निर्णय हेतु विभागीय निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :

(i) श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(ii) श्री भवानी नंदन, अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iii) श्री रत्नेश कुमार, अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
(iv) श्री रामावतार साह, मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

2. मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–419(अनु0) दिनांक–31.01.2019 द्वारा विषयांकित कार्य के समयवृद्धि स्वीकृति हेतु प्राप्त तकनीकी मूल्यांकन समिति की विहित प्रपत्र में अंकित सूचनाओं के आधार पर विवरणी निम्नवत् है :–

2.1	कार्य का नाम	:	दीघरा चौक (एन0एच0–28) से बटलर चौक पथ कि0मी0 0.00 से 8.20 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13
2.2	एकरारनामा संख्या	:	29 SBD/ 2012-13
2.3	एकरारनामा की राशि	:	₹23,58,37,094.00
2.4	संवेदक का नाम	:	Singh Construction Pvt. Ltd., Muzaffarpur
2.5	एकरारनामा के अनुसार कार्यारम्भ की तिथि :–	:	22.01.2013
2.6	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि :–	:	21.05.2014
2.7	वास्तविक कार्य समाप्ति की तिथि	:	27.03.2018
2.8	माँग की गई समयवृद्धि की तिथि	:	27.03.2018

3. **समयवृद्धि का कारण :–**

(i) **माओवादी गतिविधि के कारण विलंब** – माओवादियों द्वारा दिनांक–03.04.2013 को संवेदक के अन्य कार्यस्थल पर पथ में प्रयुक्त होने वाले मशीनरी में आग लगा दी गई थी। संवेदक के कर्मी द्वारा दिनांक–04.04.2013 को साहेबगंज थाना, मुजफ्फरपुर में प्राथमिकी दर्ज कराया गया। माओवादी गतिविधि के कारण मजदुरों में भय व्याप्त हो गया, जिसके कारण करीब 86 दिनों तक कार्य बाधित रहा, जिसमें 60 दिनों की अनुशंसा की गई है।

15.7.19

(ii) **माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में पुनरीक्षित स्वीकृति के कारण विलंब** – एकरारनामा के अनुसार कार्य संपादित कराया जा रहा था। स्थानीय निवासियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सड़क की ऊँचाई नहीं बढ़ाने हेतु दिनांक–03.02.2013 को कार्यपालक अभियंता को परिवाद दिया गया। साथ ही जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को परिवाद दिया गया। परिवाद के आलोक में कार्य वाधित हुआ तथा प्राक्कलन की पुनरीक्षित स्वीकृति प्रदान की गई।

भारत बैगन एण्ड इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड जो कि भारत सरकार का एक उपक्रम है के द्वारा भी जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को दिनांक–15.01.2014 के सड़क की ऊँचाई बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया। उक्त अनुरोध के आलोक में समाहरणालय द्वारा कार्यपालक अभियंता को आवश्यक कार्रवाई हेतु अनुरोध किया गया।

कार्य के दौरान पथ निर्माण विभाग के भूमि को माप करने के लिए भी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया।

उपरोक्त सभी कारणों से इस मद में संवेदक द्वारा 466 दिनों की अनुरोध किया गया, जिसमें 406 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(iii) **Electric Pole Shifting के कारण कार्य वाधित** – पथ योजना के कार्य करने के दौरान Electric poles Shifting का भी कार्य कराना आवश्यक था। कार्यपालक अभियंता द्वारा दिनांक–22.08.2013 को अधीक्षण अभियंता (विद्युत), विद्युत आपूर्त्ति अंचल, मुजफ्फरपुर को सूचना दी गई थी। संवेदक द्वारा इस मद में 1082 दिनों की अवधि विस्तार का अनुरोध किया गया, परन्तु कार्यपालक अभियंता द्वारा 850 दिनों की अनुशंसा की गई है।

(iv) **पूरक एकरारनामा के तहत PQC कार्य का संपादन** –

(क) अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–1893 दिनांक–23.12.2016 द्वारा PQC कार्य को अनुमोदित करने के साथ ही उक्त कार्य को करने हेतु अतिरिक्त 90 दिनों का समय निर्धारित किया गया।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **CWJC No.-13580** में न्याय निर्देश – कार्यपालक अभियंता द्वारा सूचित किया गया कि विषयांकित कार्य ससमय पूर्ण नहीं करने के कारण संवदेक को दिनांक–19.06.2014 को भविष्य में किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित कर दिया गया था। संवदेक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या–CWJC No.13580 of 2015 दायर किया गया।

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निदेश दिया गया है कि................

"Mr. Jha learned counsel for the state, submits that the incomplete stretch of the road measures 1400 metre has changed from bituminous surface to concrete surface due to water logging but the same is awaiting approval of the headquarters.

In my opinion, if the work is completed, there should no reason to delay on the payment of admissible dues of the petitioner and the respondents are directed to consider the prayer of the petitioner for payment of admissible dues and to dispose of the same within a period of three months from the date of receipt/production of copy of this order."

अतः उपरोक्त वर्णित कारणों के आलोक में एवं माननीय उच्च न्यायालय के निदेश के आलोक में कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा विषयांकित कार्य में कुल 850 दिनों अर्थात् दिनांक–27.03.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई है।

15.7.19

4. तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति का अनुशंसा :–

तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से विषयांकित कार्य में दिनांक–27.03.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।

5. विभागीय निविदा समिति का निर्णय :–

5.1 मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक–419(अनु0) दिनांक--31.01.2019 द्वारा प्राप्त तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति की अनुशंसा के आलोक में पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर के अन्तर्गत दीघरा चौक (एन0एच0–28) से बटलर चौक पथ कि0मी0 0.00 से 8.20 में चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य वर्ष 2012–13 (एकरारनामा संख्या–29 SBD/ 2012-13) हेतु दिनांक–27.03.2018 तक समयवृद्धि की स्वीकृति इस शर्त्त के साथ प्रदान की जाती है कि विस्तारित अवधि में संवेदक को Price Escalation का लाभ एवं कोई अन्य वित्तीय दावा मान्य नहीं होगा परन्तु यदि विस्तारित अवधि का Price Index/Rate एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि से कम हो तो Price Neutralization हेतु विस्तारित अवधि का Price Index/Rate लागू होगा।

5.2 विभागीय निविदा समिति की इस कार्यवाही को विभागीय वेबसाईट पर भी डाली जाय।

15/07/19 (रामावतार साह) मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	15.7.19 (रत्नेश कुमार) अपर सचिव–सह–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	15.7.19 (भवानी नंदन) अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।	15.7.19 (अमृत लाल मीणा) प्रधान सचिव पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक–प्र०–7 / विविध (स०वृ०)–04–42 / 2019 5404(E) पटना, दिनांक 15/7/19

प्रतिलिपि :– मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, पथ निर्माण विभाग, पटना / अधीक्षण अभियंता, उत्तर बिहार पथ अचंल, मुजफ्फरपुर / कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल संख्या–01, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित / आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(भवानी नंदन) 15.7.19
अभियंता प्रमुख,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।